159

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 25/83/10–3/2004 भोपाल, दि. अप्रैल, 2010

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यंप्रदेश

विषयः– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही बाबत।

संदर्भः समसंख्यक पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2008

—

कृपया संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करें जिसके पैरा–2 में विषयांकित वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही तब तक रोकने के निर्देश दिये गये थे जब तक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकारों की मान्यता व सत्यापन की प्रकिया पूर्ण न हो जाये।

2. अधिकांश जिलों में यह कार्यवाही पूर्णता की ओर है अर्थात जो दावे अब निरस्त हो चुके हैं तथा उनमें कलेक्टर स्तर की समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा चुका है उनमें निरस्त किये गये दावों के संबंध में वन भूमि से बेदखली की कार्यवाही पर अब कोई रोक प्रचलित नहीं है।

3. कृपया विधि अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(रतन पुरवार)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 25/83/10–3/2004 भोपाल, दि. अप्रैल, 2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय/क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. समस्त वनमण्डलाधिकारी,क्षेत्रीय/वन्यप्राणी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग